सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2022/395(21/2022) दर्ज तिथिः—07.12.2022

1. विरधा पुत्र पाबुराम
2. सोनाराम पुत्र पाबुराम
3. तेजाराम पुत्र पाबुराम

जाति जाट निवासी खडियाली नाडी तहसील नोखड़ा—बाड़मेर

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. काना पुत्र बाला
2. हरा पुत्र अर्जुन
3. हुकमा पुत्र सिमर्था
4. गोकला पुत्र पेमाराम
5. टीकुराम पुत्र पेमाराम
6. लुम्भा पुत्र पेमाराम
7. रम्भादेवी पत्नी पेमाराम
8. अनुदेवी पत्नी गोकलाराम
9. हुकमाराम पुत्र चेनाराम

जाति जाट निवासी खडियाली नाडी तहसील नोखड़ा—बाड़मेर

...........................असल विप्रार्थीगण

10. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुड़ामालानी।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा—बाड़मेर।

..........................तकमीली विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगणः—1.श्री चिमनसिंह चौधरी
2.श्री नारायण कुमावत

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–09.09.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी 496 / 1.7401 है0 वाके ग्राम खडियाली नाडी में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर खसरा संख्या 495 / 7.3734, 496 / 1 / 10.4409 है0 एवं खसरा संख्या 496 / 2 / 1.7402 है. बा.दो. वाके ग्राम खडियाली नाडी से होते प्रार्थीगण के खेत तक विद्यमान रास्ता मौके पर चालू है। उक्त विद्यमान रास्ते में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 के खसरा संख्या 495, 496 / 1, 496 / 2 में प्रार्थीगण के आने हेतु रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है तथा विप्रार्थीगण वक्त काश्त उक्त खसरों में काश्त कर लेते हैं जिससे प्रार्थीगण को अपने जोत तक आने–जाने से बाधित हो जाते हैं। अतः खसरा संख्या 495, 496 / 1, 496 / 2 के दक्षिणी भाग से होकर करीब 30 फीट चौडाई का नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को करीब 30 फुट चौडाई में रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विधिवत तामील होने के उपरांत अप्रार्थीगण की ओर से एड. चिमनसिंह चौधरी एवं एड. नारायण कुमावत द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया है कि विप्रार्थी संख्या 4 ता 8 के खेत में से होकर विप्रार्थीगण के खेत में जाने हेतु कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। साथ ही विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 495 व 496 का विभाजन का न्यायालय हाजा के आदेशानुसार किया गया जिसमें खसरा संख्या 495 व 496 में से रास्ता की सुविधा रखी गई, जिसका उपयोग प्रार्थीगण आवागमन हेतु कर सकते हैं। जवाब पत्र के बिन्दु संख्या 4 में विप्रार्थीगण अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि विप्रार्थीगण के खेत में से परिशिष्ट ब के अनुसार रास्ता प्रार्थीगण के पास उपलब्ध है, जिसका उपयोग प्रार्थीगण कर रहे हैं। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा दिनांक 06.05.2024 को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की। जो कि शामिल मिसल की गई।

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने–ए–जिरह प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक प्रार्थना–पत्र अनुतोष स्वीकार करते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अभिभाषक विप्रार्थीगण ने दौराने–ए–जिरह अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए विप्रार्थीगण के खेत में से परिशिष्ट ब के अनुसार रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

4. उभय पक्षकारों ने प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 496 तक जाने के लिये सबसे लघुत्तम रास्ता 495 / 7.3734, 496 / 1 / 10.4409 है0 एवं खसरा संख्या 496 / 2 / 1.7402 है. बा.दो. वाके ग्राम खड़ियाली नाडी से होकर रास्ता दिये जाने सहमति व्यक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested

की। इस पर लघुत्तम रास्ता 495 / 7.3734, 496 / 1 / 10.4409 है0 एवं खसरा संख्या 496 / 2 / 1.7402 है. बा.दो. वाके ग्राम खडियाली नाडी से होकर दिये जाने वाले रास्ते में आई भूमि की एवज में प्रार्थी ने अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 496 में से अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 496 / 2 के सेढे भूमि के बदले भूमि देने पर सहमति व्यक्त की। उक्त प्रस्ताव पर अप्रार्थीगण ने सहमति व्यक्त की।

5. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है—

251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. *- (1) Where -*

(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or

(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted or in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant ***preferably*** *having the same price and adjoining to his land.*

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

> ***68. Application under Sec. 251-A.*** *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*
>
> ***69. Enquiry and disposal of application.*** *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*
>
> *(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and*
>
> *(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.*
>
> ***70. Determination of compensation.*** *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*
>
> *(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.*
>
> *(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-*
>
> *(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and*
>
> *(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.*
>
> *(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested

धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. *प्रार्थी की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955, के नियम 68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–2 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार नोखड़ा की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 06.05.2024 के बिन्दु संख्या 1 एवं 2 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार नोखड़ा की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 06.05.2024 के अवलोकन से प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 496 वाके ग्राम खडियाली नाडी तहसील नोखड़ा तक पहुंचने हेतु रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 495, 496 / 1, 496 / 2 वाके ग्राम खडियाली नाडी में प्रार्थीगण के आने हेतु रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रिकॉर्डेड रास्ता की अनुपस्थिति रिकॉर्ड एवं तहसीलदार नोखड़ा की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 06.05.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है। साथ ही प्रार्थी को प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार नोखड़ा की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 06.05.2024 अनुसार रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अब इसके पश्चात तृतीय शर्त बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौडाई का **लघुत्तम मार्ग** रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है।

8. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी 496 / 1.7401 है0 वाके ग्राम खडियाली नाडी में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 495, 496 / 1, 496 / 2 वाके ग्राम खडियाली नाडी में रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 495, 496 / 1 एवं 496 / 2 वाके ग्राम खडियाली नाडी के दक्षिणी भाग से होकर 30 फीट चौडाई का नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु निवेदन किया है। साथ ही प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 06.05.2024 द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 495, 496 / 1 एवं 496 / 2 वाके ग्राम खडियाली नाडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested

से होकर लघुत्तम मार्ग को प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार नोखड़ा की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 06.05.2024 के अवलोकन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा आवेदित तथा तहसीलदार नोखड़ा की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 06.05.2024 में अंकित रास्ता का मार्ग ही लघुत्तम मार्ग प्रतीत होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 06.05.2024 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार नोखड़ा की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 06.05.2024 को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार नोखड़ा की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 06. 05.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्ताव लघुत्तम मार्ग बतौर 30 फुट चौड़ा गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान तथा भूमि उपलब्ध करवाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में लघुत्तम रास्ता 495 / 7.3734, 496 / 1 / 10.4409 है0 एवं खसरा संख्या 496 / 2 / 1.7402 है. बा.दो. वाके ग्राम खडियाली नाडी से होकर दिये जाने वाले रास्ते में आई भूमि की एवज में प्रार्थी ने अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 496 में से अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 496 / 2 के सेढे भूमि के बदले भूमि देने पर सहमति व्यक्त की। उक्त प्रस्ताव पर अप्रार्थीगण ने सहमति व्यक्त की।

9. अतः प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य सहमति होने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्रावली तथा तहसीलदार गुड़ामालानी दिनांक 06. 05.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन एवं उभयपक्षकारान की सहमति के आधार पर विश्लेषित निष्कर्षानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साथ ही आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 495/7.3734, 496/1/10.4409 है0 एवं खसरा संख्या 496/2/1.7402 है. बा.दो. वाके ग्राम खडियाली नाडी से होकर से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 496 तक प्रार्थी द्वारा वांछित/इच्छित चौडाई, जो कि चौडाई में अधिकतम 30 फीट तक हो, के रास्ते में निहित होने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 496 के अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 496/2 के सेढे

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 496 में से समान रकबा की आराजी के रकबे को कलमजन किया जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 09.09.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.09.22 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested